

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 23 DEC 2022


आदेश

विषय: Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के संबंध में।

संदर्भ: वित्त (नियम) विभाग का आदेश क्रमांक प.6(10)वित्त/नियम/2021 पार्ट दिनांक 19-12-2022

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 19-12-2022 की निरन्तरता में निम्नानुसार लेख है कि :

1. समसंख्यक आदेश दिनांक 19-12-2022 के अनुसार दिनांक 30-9-2021 तक के समस्त इनडोर एवं आउट डोर चिकित्सा पुनर्भरण दावे तथा दिनांक 1-10-2021 से 31-10-2021 तक के सिर्फ आउट डोर चिकित्सा पुनर्भरण दावे दिनांक 15-1-2023 तक आरजीएचएस पुनर्भरण माड्यूल में ऑन लाइन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम-प्रथम खण्ड पार्ट-I के नियम 197(i) के प्रावधानों की पालना करते हुए मृतक राज्य कर्मचारी के चिकित्सा पुनर्भरण दावे भी आरजीएचएस पुनर्भरण माड्यूल में ऑन लाइन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। मृतक पेंशनरों के चिकित्सा पुनर्भरण दावे भी उक्त नियम के प्रावधानों एवं प्रक्रिया अनुसार ही निस्तारित किये जा सकेंगे। परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, मृतक कर्मचारी एवं पेंशनर के आश्रित की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले चिकित्सा पुनर्भरण दावे हेतु प्रस्तुतीकरण हेतु आरजीएचएस पुनर्भरण माड्यूल में आवश्यक प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।


(रोहित गुप्ता)


शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप - 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. परियोजना निदेशक, RGHS
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
11. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
12. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
13. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
14. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
16. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर


(एस.जेड. शाहिद)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 45 / 2022)